

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. १९५ / एफ-१-४५/३१ / एस-२/२०२१,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक १३/०१/२०२३

मुख्य अभियंता,
मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- कोरबा जिले के विकासखण्ड-पोड़ी-उपरोड़ा की तान नदी पर पचरा एनीकट निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्रमुख अभियंता का पत्र क्रमांक-1051/बो.प्र./AA/तक/हस.बांगो/2020/10277, नवा रायपुर, दिनांक 23.11.2020.


—००—

राज्य शासन एतद् द्वारा कोरबा जिले के विकासखण्ड-पोड़ी-उपरोड़ा की तान नदी पर पचरा एनीकट निर्माण हेतु राशि रु. 872.55 लाख (रूपये आठ करोड़ बहत्तर लाख पचपन हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।


2. योजना से पेयजल, निस्तारी, भू-जल संवर्धन एवं आवागमन सुविधा के साथ कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से 180 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट लेखाशीर्ष मांग संख्या-४१-लेखाशीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय, {१०२} भू-तल जल, ०१०२-अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (५०५९) एनीकट/स्टापडेम निर्माण, #९७ निर्माण कार्य, ००३ बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक-१२९०, सी.एन.-३१-००१८७/बजट-२/वित्त/चार/२०२३, दिनांक ०५.०१.२०२३ द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के दायरपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


 (प्रेमसिंह चौधरी)
 १३/०१/२३

अवर सचिव



 श्री छत्तीसगढ़ शासन
 १२/४२ संसाधन विभाग

पृ.क्र. १९६ / एफ-१-४५ / ३१ / एस-२ / २०२१,

अटल नगर, दिनांक १३/०१/२०२३

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-कोरबा (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-१९, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम ४-२२ अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-१९, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, हसदेव परियोजना मंडल रामपुर-कोरबा, जिला-कोरबा।
14. कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो बांध संभाग क्र.-३, माचाडोली, जिला-कोरबा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।



अवृद्ध सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
12/01/23